वन्यजीव रेस्क्यू कार्य हेतु पंजीकरण

जयपुर जिले में कई वन्यजीव अपना प्राकृतवास छोडकर आबादी क्षेत्र में आ जाते है। जब कभी ये वन्यजीव अपने प्राकृतवास से निकल कर आबादी क्षेत्र में आते है, तो न केवल इनकी जान को खतरा होता है, बल्कि इनसे मानव एवं उसकी सम्पत्ति को भी नुकसान का खतरा होता है। भय के कारण इन वन्यजीवों को मारे जाने की संभावना भी बनी रहती है।

इन वन्यजीवों को पकड़कर वापिस उनके प्राकृतवास में छोडने का कार्य को वन्यजीव रेस्क्यू स्वयंसेवियों के माध्यम से वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। यह कार्य विस्तृत, संवेदनशील और अव्यवस्थित है तथा इसमें त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होने के कारण जन सहभागिता से प्रायौगिक तौर पर किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्तियों/ संस्थाओं को वन्यजीव प्रभाग में पंजीकरण हेतु आमंत्रित किया जाता है।

कार्य :

वन्यजीव रेस्क्यू हेतु वन्यजीव प्रभाग में पंजीकृत स्वयंसेवकों/स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निम्न कार्य कराये जाने प्रस्तावित है :–

1. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के शिडयूल – I के अतिरिक्त अन्य स्वस्थ वन्यजीवों जैसे सांप, रोजडा, घोहरा, पक्षी आदि को आबादी क्षेत्र से वन्यजीव प्राकृतवास में छोडना।
2. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के शिडयूल – I के अतिरिक्त अन्य अस्वस्थ वन्यजीवों जैसे सांप, रोंजडा, घोहरा, पक्षी आदि को वन्यजीव प्रभाग के पास उपचार हेतु पहुंचाना।

रेस्क्यू प्रक्रिया :

1. वन्यजीव रेस्क्यू की आवश्यकता की सूचना मिलने पर पंजीकृत संस्था/ व्यक्ति द्वारा वन्यजीव प्रभाग द्वारा तैयार किये एक एप्प पर अंकित की जायेगी। एप्प पर उनके द्वारा उन व्यक्तियों का नाम दिया जायेगा, जो रेस्क्यू कार्य पर जायेंगें।
2. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एप्प पर ही स्वीकृति/पूर्व स्वीकृति देने की व्यवस्था होगी।
3. पंजीकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा रेस्क्यू करते समय व छोडते समय के जीओटेग(Geotag) फोटो / सेल्फी अपलोड करनी होगी।
4. पंजीकृत संस्था/व्यक्ति के कार्य को एप्प द्वारा स्टार रेटिंग भी दी जा सकेगी।

पंजीकरण हेतु योग्यता :

A. ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो।

B. इस उद्देश्य से गठित रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्थायें।

शर्ते :

इस कार्य हेतु निम्न शर्ते लागू होगी :

1. पंजीकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा इस सेवा के लिये विभाग द्वारा कोई धन राशि उपलब्ध नही करायी जावेगी।
2. पंजीकृत संस्था/व्यक्ति का नाम, सम्पर्क नम्बर एवं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जावेगा ताकि इस कार्य हेतु आमजन उनसे सम्पर्क कर सकें।
3. पंजीकृत स्वयंसेवक/स्वयंसेवी संस्था वन विभाग, राजस्थान अथवा वन्यजीव प्रभाग के नाम का उपयोग कर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता अथवा दान, अनुदान इत्यादि नहीं लेगा।
4. किसी संस्था/व्यक्ति को यदि पंजीकृत किया जाता है तो वह संस्था/व्यक्ति इस पंजीकृत होने के तथ्य का उपयोग किसी प्रकार की राजकीय वित्तीय सहायता मांगने के लिये नही कर सकेगा।

आवेदन प्रक्रिया :

1. पंजीकृत संस्था/व्यक्ति इच्छुक पंजीकृत संस्था/व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर जयपुर को दिनांक 20 नवम्बर तक उपलब्ध करायेगे। आवेदन पत्र के साथ इस कार्य के अपने अनुभव संबंधी दस्तावेज भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. पंजीकृत संस्था/व्यक्ति की पुलिस वेरीफिकेशन भी करायी जावेगी तथा उसे किसी भी अपराध में दोषी जाये जाने पर सूची से हटा दिया जावेगा।

स्वयंसेवक प्रपत्र संलग्नक I व शपथपत्र संलग्नक II में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

स्वंयसेवक आवेदन प्रपत्र

- नाम :–..
- पिता का नामः–...
- जन्म तिथि :–..
- नागरिकता :–..
- आधार कार्ड / पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या :–...
  (व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एवं संस्थायें अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
- पता :–..
- शहर :–..
- घर का दूरभाष एवं ई–मेल :–...
- मोबाईल नं. एवं कार्यालय नं. :–..
- भाषा :.–...
- स्वंय सेवी कार्य करने के अनुभव (NSS,NCC,NGO, etc) :–

अन्य सूचनाः–

- क्या आपको पूर्व में किसी भी अपराध में दोषी पाया गया हैः– हॉ/नही
- अपराध की दिनांक :–
- स्थान :–
- क्या आप वर्तमान में प्रोबेशन, पैरोल अथवा ट्राईल में है।

आपातकाल सूचना (Emergency Information) :–

- नाम :–
- घर का दूरभाषः–
- मोबाईल फोनः–

संलग्नक I (ख)

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सूचना पूर्ण एवं सत्य है। मैने जानबूझकर कोई सूचना नही छुपाई है।

मुझे यह ज्ञात है कि मेरे द्वारा कोई भी गलत सूचना दिये जाने पर मेरे पंजीकरण को निरस्त योग्य माना जावेगा।

मैं प्रपत्र में दी गई समस्त सूचना को प्रमाणित एवं अधिकृत करता हूँ।

मै यह जानता हूँ कि रेस्क्यू कार्य हेतु स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने पर मुझे कार्य के प्रति प्रतिबद्धता रखना, वन्यजीव प्रबन्धन के उददेश्यों को प्राप्त करना, वन्यजीवों एवं मनुष्यों के प्रति निष्ठा का वातावरण बनाये रखना एवं समय पर आवश्यकतानुसार तत्काल रेस्क्यू कार्य करना मेरा दायित्व है एवं इसके लिये मै प्रतिबद्व हूँ।

रेस्क्यू कार्य के स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने पर मै वन्यजीवों के प्रबन्धन एवं रखरखाव से सम्बन्धित समस्त नियमों, प्रावधानों एवं नीतियों की पूर्ण पालना करूँगा/करूँगी।

जिस प्रकार मुझे किसी भी समय स्वंयसेवक के रूप में कार्य से विमुक्त होने का अधिकार है उसी प्रकार प्रशासन को भी मुझे मेरी सेवा से विमुक्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

स्वयंसेवक / स्वयंसेवी संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षरः– ....

दिनांक :– ....

नोट :– कृपया अपना रेस्यूम एवं किसी संगठन में स्वंय सेवक के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।

गोपनीयता हेतु वक्तव्य एवं संगठनात्मक मूल्यों के लिये शपथ पत्र :–

मै यह जानता हूँ कि स्वंय सेवक द्वारा रेस्क्यू से सम्बन्धित सूचना का आदान–प्रदान विभाग के साथ पूर्ण गोपनीयता के साथ किया जाना है।

मै सहमत हूं कि किसी भी परिस्थिति में स्वंय सेवक द्वारा रेस्क्यू कार्य से सम्बन्धित सूचना को (वन विभाग द्वारा प्रधिकृत न किये जाने पर) किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा नहीं की जावेगी एवं ना ही साझा किया जावेगा।

मै सहमत हूँ कि वन्यजीवों के रेस्क्यू कार्यो से सम्बन्धित सूचना हेतु वन विभाग अधिकृत है। चिडियाघर के डायरेक्टर या उनके प्रतिनिधि रेस्क्यू कार्यो हेतु राजकीय वक्ता होगें। मै वन विभाग के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को रेस्क्यू से सम्बन्धित सूचना या अन्य कोई सामग्री प्रकट नहीं करूगॉ/करूँगी।

स्वंय सेवक द्वारा निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जावेगा।

- स्वंय सेवक द्वारा रेस्क्यू कार्यो के समय पूर्ण तत्परता एवं कार्य कुशलता से कार्य किया जावेगा।
- स्वंय सेवक द्वारा रेस्क्यू कार्यो को किसी भी वित्तीय या निजी लाभ हेतु प्रयोग नही लिया जायेगा।
- यह जानता हूँ कि निर्देशों की पालना नहीं करने पर मेरी सेवायें निरस्त कर दी जावेगी। मेरे द्वारा ऊपर अंकित समस्त सूचना पूर्ण एवं सत्य है एवं इस कार्य हेतु मुझे कोई भगुतान देय नहीं है।

स्वयंसेवक / स्वयंसेवी संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :–..................................

समय :– ....

दिनांक :–

गवाह :